न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

प्रकरण सं0 ..... अनवान ..... बनाम .....

Continuation Note Sheet

18-11-25 अभिभाषी द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली प्राप्त हुई। अभिभाषी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अभिभाषी का रेस्पोंडेन्ट के साथ समझौता हो चुका है अभिभाषी द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अभिभाषी के निवेदन एवं अभिभाषी के प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली हमेशा के लिए बन्द की जाकर पत्रावली अभिलेखागार रहे।

Sd/- 18/11